न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – लक्ष्मीकान्त कटारा ,आर0ए0एस0

मुकदमा न0 25 / 2017 तारीख रजू 17.07.2017

1– हनुमान पुत्र श्री रामफूल दत्तक पुत्र मोती जाति मीना निवासी मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर – अपीलांट

बनाम

1–हरिशंकर पुत्र फेलूराम जाति मीना निवासी धमूणखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर

2– भैरुलाल पुत्र फेलूराम जाति निवासी धमूणखुर्द तहसील व जिला स0माधोपुर

3– ग्राम पंचायत मुई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मुई तहसील सवाई माधोपुर

4– सरकार जरिये तहसीलदार लेण्ड होल्डर सवाई माधोपुर —रेस्पोडेन्टस

अपील 75 आर0टी0एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण

श्री जे0पी0शर्मा – वकील अपीलांट

दिनांक: 13.11.2017

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0टी0एक्ट के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अपील बनाराजगी आदेश सरपंच ग्राम पंचायत मुई दिनां 06.10.77 नामान्तकरण संख्या 297 एवं आदेश दिनाक 24.01.98 नामान्तकरण संख्या 7 वाके ग्राम मुई तहसील सवाई माधोपुर पेश की है । अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक मोती के विधिक वारिसान की जॉच नही की है । जबवि मृतक मोती ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 13.07.70को सादा कागज पर वसीयतनाम ग्रामवासियों की उपस्थिति में रामचन्द्र मीना प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला मुई ने तहरीर किया वसीयतनामा के आधार पर मृतक मोती ने अपीलांट को समस्त चल व अचल सम्पत्ति का एक मात्र मालि अपीलांट को घोषित किया था । मृतक के नाम की कृषि भूमि पर भौतिक कब्जा आज भी अपीलांट का चला आ रहा है । यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत ने मृतक मोती के एक मात्र विधिक वारिसान की किये बिना ही नामान्तकरण संख्या 297 मृतक रामबाई पुत्री मोती मीना के नाम से दर्ज कर दिया ।तत्प रामबाई की मृत्यु होने पर नामान्तकरण संख्या दिनांक 24.01.98 को रेस्पोडेन्टस सं0 1व 2 के नाम से दज दिया । जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2धमूणखुर्द के मूल निवासी है । ग्राम मुई में स्थित कृषि भूमि पर क भौतिक कब्जा नही रहा । इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि पर भौतिक कब्जे के जानकारी नही की, न ही अपीलान्ट को नोटिस दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त कार्यवाही एकपक्षी से की है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट कर अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 297 दिनांव 77 व नामान्तकरण संख्या 7 दिनांक 24.10.98 वाके ग्राम मुई को अपास्त फरमाया जाकर मृतक

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नन्दलाल के नाम की समस्त कृषि भूमि को जरिये विरासत व वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम से नामान्तकरण दर्ज करवाने के आदेश पारित किये जावे ।

अपील दर्ज की जाकर नोटिस रेस्पोडेन्टस को जारी किये गये । रेस्पोडेन्टस बावजूद तामील उपस्थित नही हुये। हमने वकील अपीलांट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में मृतक मोती ने वसीयत नामा तहरीर दिनांक 13.07.70 को किया था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्ताकरण संख्या 297 दिनांक 6.10.77 व नामान्तकरण संख्या 7 दि024.10.98 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर वसीयतनामा तथा मृतक मोती के विधिक वारिसान की जॉच करके उभय पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही करें

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर